

संचालनालय लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (ए)/05/1500./2019-20/159
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01-8-19

- 1/ जिला शिक्षा अधिकारी,
होशंगाबाद, भोपाल, सीधी, ग्वालियर, देवास,
- 2/ विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड- महु
म.प्र.।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 1500-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

---00---

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 1500-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निदेशन और प्रशासन 1500 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना 8888 V 11 009 वेतन भत्ते चिकित्सा प्रतिपूर्ति	(1) श्री एल.एल.वर्मा, सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला होशंगाबाद। (2) श्री रविन्द्र नाथ, सहायक ग्रेड-2, कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल। (3) श्री गोपीनाथ तिवारी, वाहन चालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सीधी। (4) श्री आलोक गौड़, गणक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर। (5) श्रीमती नेहा जठार, सहा. ग्रे.1 जि.शि.अधि. देवास (6) श्रीमती रत्ना बौरासी, भृत्य जि.शि.अधि. इंदौर	जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद - 1602003002 जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल। 0522003001 जिला शिक्षा अधिकारी सीधी। 4102003001 जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर 1402003001 जिला शिक्षा अधिकारी देवास 1002003001 विकासखंड शिक्षा अधिकारी महु 1742003022	RS.99316=00 Rs.90892+ RS.43784= Rs.1,34,676=00 RS.31,834=00 RS. 16,542=00 RS. 35,993=00 RS. 13469=00 RS.3,31,830=00
कुल योग:- (अक्षरी राशि रु. तीन लाख इकतीस हजार आठ सौ तीस मात्र)			RS.3,31,830=00

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-


1. मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
5. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

 //निरंतर//

//2//

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है, यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके ।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत”




(सजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/बजट (ए)/05/1500/2019-20/160 भोपाल, दिनांक 01-8-19
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
2. जिला कोषालय अधिकारी- होशंगाबाद , भोपाल, सीधी, ग्वालियर, देवास, इंदौर म.प्र. ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी - होशंगाबाद , भोपाल, सीधी, ग्वालियर, देवास, इंदौर म.प्र. ।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालकालय म.प्र. ।
5. संबंधित कर्मचारियों सरल क्रमांक 1 से 6 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.